न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **21/19 (प्रा.पत्र)**

1. श्री शाखा प्रबन्धक, देना बैंक, शाखा देहलीगेट, उदयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री प्रेमशंकर पिता जगन्नाथ डांगी निवासी कलडवास तह. गिर्वा।
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.
मूल वाद सं. 166/2017 प्रेमशंकर बनाम राज्य निर्णय 05.03.2019

–: आदेश :–

दिनांक 24.12.2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं. 166/17 अनवान प्रेमशंकर बनाम राज्य में प्रतिवादी सं. 4 देना बैंक (वर्तमान में बैंक ऑफ बडौदा) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 05.03.2019 को प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्व एक तरफा आदेश एवं डिक्री पारित की गई हैं। उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 4 की ओर से उदयपुर न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता के जरिये पैरवी हेतु मावली के अधिवक्ता श्री हार्दिक चेचानी को पैरवी हेतु बैंक की उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु हिदायत दी गई, लेकिन शाखा प्रबन्धक का इनसे सीधा सम्पर्क नहीं होने से प्रकरण में आगे की कार्यवाही हेतु इनसे सम्पर्क नहीं किया जा सका तथा बैंक के बैंक ऑफ बडौदा में विलय की कार्यवाही के चलते सारा ध्यान उस प्रक्रिया में केन्द्रीत होने से प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी, दिनांक 27.03.2019 को न्यायालय श्रीमान् के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह प्रकरण एक तरफा निस्तारित किया जाकर दिनांक 05.03.2019 को डिक्री पारित की गई है, जिसकी नकल हेतु प्रार्थना

पत्र दिनांक 27.03.2019 को प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 01.04.19 को नकल प्राप्त की गई।

2. यह कि मूल खातेदार द्वारा बैंक से डेयरी व्यवसाय हेतु कृषि ऋण लिया गया तथा उक्त ऋण के पेटे बैंक के अधीन रहन रखा जाकर बैंक का चार्ज जमाबन्दी में क्रियेट किया हुआ हैं, बैंक का ऋण चुकता कर एनओसी प्राप्त नहीं कर ली जाती है, तब तक उक्त भूमि पर प्रथम अधिकार बैंक का रहता हैं और इसी प्रकार का जवाब प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा न्यायालय में दिया गया हैं। प्रतिवादी सं. 4 के उपरोक्त कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर उपरोक्त आदेश एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे न्याय हित में अपास्त किया जाकर प्रतिवादी सं. 4 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शाखा प्रबन्धक का शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि प्रार्थी बैंक का अधिवक्ता से सीधा सम्बन्ध नहीं हो, क्यूंकि स्वयं बैंक ने अधिवक्ता श्री हार्दिक चेचानी को उपस्थिति हेतु हिदायत दी गई। इसलिए यह कथन कि शाखा प्रबन्धक का अधिवक्ता से सीधें सम्बन्ध नहीं था यह कथन विरोधाभाषी है और यदि ऐसा था तो अचानक दिनांक 27.03.2019 को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिवक्ता से किस आधार पर सम्पर्क किया गया। इसका कोई आधार नहीं दिया गया है जबकि देरी को प्रतिदिन साबित किया जाना आवश्यक हैं। बैंक में विलय का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। विलय होने पर भी बैंक की समस्त कार्यवाहियां रोकी नहीं गई थी तथा बैंक का दैनिक कार्य सदैव सम्पन्न होता आया था। वास्तविकता यह है कि बैंक का विलय की कार्यवाही सितम्बर 2018 से प्रारम्भ हो विलय दिनांक 01.04.2019 को हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब वास्तविक विलय हो रहा था उसके तीन दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 27.03.2019 को जब प्रार्थी बैंक को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने का समय मिल गया तो यह आधारहीन होकर मानने योग्य नहीं हैं। बैंक को तामील होने के लगभग 1 वर्ष पश्चात् भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो दिनांक 05.02.2018 को बैंक का जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया एवं तामील से लगभग ढाई वर्ष बाद पत्रावली में निर्णय पारित किया गया हैं ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण को नम्बर पर लिया जाता है तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा। माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं. 1

उदयपुर द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में निर्णय पारित कर मुझ विपक्षी के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन कराया जा चुका हैं। विक्रय की राशि 23,35,000/– रूपयें न्यायालय में जमा हैं। मुझ विपक्षी के खाते में मात्र कुछ भूमि ही अंकित की गई हैं। प्रार्थी बैंक के पास ऋण दाताओं की अन्य भूमि भी गिरवी रखी है इस सम्बन्ध में प्रार्थी बैंक चाहे तो न्यायालय में जमा राशि एवं अन्य भूमि निलाम कर बकाया राशि प्राप्त कर सकता हैं। परन्तु बैंक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है इससे स्पष्ट प्रकट है कि बैंक पूर्व खातेदारों के साथ मिलकर मुझे परेशान करना चाहता हैं। अन्य समस्त तथ्य माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं. 1 उदयपुर द्वारा तय किये जा चुके है तथा मुझ विपक्षी के हक में निर्णय पारित किया हैं। अतः प्रार्थी बैंक को इन्हे यहां उठाने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी बैंक का जवाब दिनांक 05.02.2018 को ही बन्द किया जा चुका हैं। जिस निर्णय के विरूद्व कोई रिवीजन अपील प्रस्तुत नहीं की हैं। अतः प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। ताईद में मुझ विपक्षी का शपथ पत्र पेश हैं।

4. हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 05.03.2019 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें प्र.स. 1 से 3 तहसीलदार, उप पंजीयक व पटवारी पक्षकार है व प्रतिवादी सं. 4 शाखा प्रबन्धक देना बैंक (प्रार्थी) पक्षकार हैं। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 द्वारा न्यायालय से जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.3.2019 एकतरफा डिक्री को निरस्त किया जाने का निवेदन किया है। सर्वप्रथम हमे यह देखना है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 में क्या प्रावधान है ?

6. **<u>आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में प्रावधान है कि :–</u> किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके**

द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

7. यदि किसी न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

उक्त नियमों के तहत प्रतिवादी/प्रार्थी को सम्मन की सूचना जरिये रजिस्टर्ड एडी से कराकर दी गई थी जिसकी रसीद सम्मन पर संलग्न है जो प्रार्थी को दिनांक 07.07.2017 को रजिस्टर्ड एडी से कराई गई थी जिसकी आगामी पेशी 03.08.2017 को नियत थी। जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हार्दिक चेचानी द्वारा दिनांक 03.08.2017 को अपनी उपस्थिति दी गई एवं उसी के फलस्वरूप टी.आई. पत्रावली में अपने हस्ताक्षर कर आगामी पेशी हेतु सूचित होकर अण्डर टेंकिंग ली गई। उसके पश्चात् दिनांक 05.02.2018 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। उसके पश्चात् दिनांक 28.02.2019 को प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। चूंकि प्रार्थी को उक्त वाद की सूचना थी एवं इनकी ओर से अधिवक्ता श्री हार्दिक चेचानी द्वारा अण्डर टेंकिंग लेकर जवाब के लिए अवसर भी लिया गया। इसलिए यह नहीं कहां जा सकता कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 को प्रकरण की जानकारी अथवा पूर्ण सूचना नहीं हों। मूल वाद को प्रतिवादी के जवाब बन्द होने के पश्चात् भी लगभग 7 पेशीयां दी गई एवं सूचना दिनांक 03.08.2017 को होने के बाद दिनांक 28.02.2019 को लगभग 1 वर्ष 6 माह के बाद एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में साक्ष्य ली जाकर प्रकरण को मेरिट पर तय किया गया हैं। इसलिए इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थी को प्रोपर तामील नहीं होकर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा डिक्री पारित की गई हों। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस

न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी चाहे तो अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर राहत प्राप्त कर सकता हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।
9. पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।
10. निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.08 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: